## //खण्डन//

दिनांक 22.07.2025 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सबलगढ़ जिला मुरैना में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उत्पन्न विवाद का कारण इस प्रकार है। श्री धर्मेंद्र चतुर्वेदी उर्फ अन्ना हजारे निवासी ग्राम रामपुर तहसील सबलगढ़ अन्य व्यक्तियों की समस्या से संबंधित आवेदन लेकर जनसुनवाई में आये थे, इनका स्वयं का कोई आवेदन नहीं था, अन्य व्यक्ति का आवेदन होने पर इनसे इनके स्वयं के आवेदन के बारे में पूछा जाने पर इनके द्वारा कहा गया कि **" ये पूरा देश मेरा है और मैं सभी का आवेदन ला सकता हूँ "**। इनका लाया हुआ आवेदन ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र से संबंधित होने के कारण आवेदन प्राप्त कर तहसीलदार सबलगढ़ को निराकरण हेतु मार्क किया गया एवं इनसे कहा गया कि आपके आवेदन पर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई होगी। तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा जनसुनवाई के बाद समस्या निराकरण हेतु इन्हे भी समय दिया गया। परन्तु श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा तत्काल निराकरण की जिद अपनाकर जनसुनवाई के दौरान जानबूझकर चिल्ला–चिल्ला कर तहसीलदार से बहस करते हुए विवाद करने लगे। जनसुनवाई में महिलाएं, वृद्धजन, सहित अनेकों आवेदक खड़े थे एवं इनकी इस हरकत के कारण जनसुनवाई का माहौल बिगड़ रहा था। अन्य आवेदकों की सुनवाई करना भी आवश्यक था। चूंकि उक्त आवेदन ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित होने के कारण समस्या का तत्काल निराकरण किया जाना संभव नही था। शासन स्तर से ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये। जिनके अनरूप जांच उपरान्त आवेदन का निराकरण किया जाना संभव है साथ ही लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत ई. डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र का पंजीयन होने के पश्चात निराकरण हेतु नियत दिनांक भी दी जाती है। श्री चतुर्वेदी समस्या के नाम पर साजिश के तहत जनसुनवाई में आए थे एवं अपने साथ धरना प्रदर्शन करने की पूरी सामग्री लाए थे जनसुनवाई के दौरान अन्य लोगों का काम खराब न हो इसलिए धर्मेंद्र चतुर्वेदी से सख्ती का बर्ताव करना पड़ा। एक संवेदनशील अधिकारी होने के नाते दूर–दूर से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुनना और निराकरण करना मेरी जिम्मेदारी है, जो कोई भी व्यक्ति इसमें बाधा बनेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इनके अनुरूप कार्य न होने पर इनके द्वारा कार्यालय परिसर में ही धरना देना प्रारम्भ कर दिया। कार्यालय परिसर में अनैतिक रूप से धरने पर बैठने पर मेरे द्वारा इन्हे मना भी किया गया। उक्त घटित घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह षड्यंत्रपूर्वक पूर्व तैयारी के साथ विवाद उत्पन्न करने एवं कार्यालय परिसर मे धरना देने के उद्देश्य से ही आये थे, ना कि समस्या का निराकरण कराने। वह अपने बैठने हेतु आसन/चटाई एवं बजाने हेतु मजीरा भी

साथ लेकर आये थे। जिससे अधिकारियों एवं प्रशासन पर अनावश्यक दबाब बनाया जा सके। जनसुनवाई के दौरान अनुभाग एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहते है उक्त घटना के पश्चात अन्य विभागों के अधिकारी पर भी भयभीत है।

धर्मेंद्र चतुर्वेदी के बारे में पता लगा है कि, पुलिस थाना रामपुर में उनके खिलाफ कई अपराध दर्ज है जिनकी जानकारी निकालबाई जा रही है, यह व्यक्ति दबाव बनाकर ब्लैकमेल करने का आदी है। श्री चतुर्वेदी के बारे में सर्व विदित है कि यह अक्सर किसी कार्य को अपने तरीके से मनवाने के लिए यही तरीका अपनाते रहे है और दिनांक 22.07.2025 को भी यही तरीका अपनाया गया है। पूर्व में पदस्थ अधिकारियों से भी इनके बारे में जानकारी लेने पर पाया गया कि तत्कालीन अधिकारियों के साथ भी इनके द्वारा विवाद किया जाता रहा है। इनके द्वारा जानबूझ कर जनसुनवाई में बाधा डाली गयी है।

मेरी छवि एवं प्रशासन की कार्यशैली को धूमिल करने के उद्देश्य से इनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया द्वारा मुझे गलत तरीके से दिखाया गया है। मेरे ऊपर लगाये गये आरोपों का मैं खण्डन करता हूँ।

दिनांकः 24.07.2025।

(अरविन्द सिंह माहौर)
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
सबलगढ़ जिला मुरैना